BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No: 466/2023

IN THE MATTER OF:

Prempal ________________ Applicant.

Versus

State of U.P. & Others ________________ Respondents.

REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE BAREILLY AND EXECUTIVE ENGINEER FLOOD DIVISION BAREILLY IN COMPLIANCE OF ORDER DATED. 10/11/2023

MOST RESPECTFULLY SHOWETH :-

(1) That in the present application Sri Prempal has submitted that at the time of consolidation land was allotted for Narai/Nala/Khali which carries rain/flood water of villages Jam Masihabad, Karampur, Tilmas Gotia, Karora, Behrauli, Kutuvpur and Bhagawantpur to river Ramganga in village Behrauli, Tahseel Mirganj, District Bareilly. He further submitted that Sri Hariom S/O Sri Girdhari has laid foundation and is making attempt to construct the pillars and raise permanent construction obstructing the natural flow of water. The Applicant has requested to issue of directions for preventing by raising of any permanent structure by Sri Hariom.

(2) That this Hon'ble Tribunal has taken cognizance on the complaint of Sh. Prempal during hearing on dated 03/08/2023 that :-

" In view of the averments made in the application , we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a joint committee comprising of Executive Engineer, Irrigation and Flood Control Department, Bareilly and District Magistrate, Bareilly and direct the same to meet within one week,

undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and givinğ oppprtunity of being heard to the project proponent. The District Magistrate, Bareilly will be the nodal agency for coordination and compliance. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

(3) That this Hon'ble Tribunal has taken cognizance on the complaint of Sh. Prempal during hearing on dated 10/11/2023 that :-

"Vide order dated 03.08.2023, this Tribunal constituted a Joint Committee and directed the same to submit factual and action taken report within two months but the report has not been received so far. Report of the Joint Committee be filed within one month by email by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

(4) That in compliance of The Hon'ble Tribunal SDM Mirganj and Executive Engineer, Flood Division Bareilly visited the site in the presence of applicant and the project proponent. Inspection report of SDM Mirganj and Executive Engineer, Flood Division Bareilly are being annexed herewith and marked as **Annexure No 1** and **Annexure No 2** respectively. Factual position was verified. Both the parties were heard and the statement were recorded. Statement of the applicant and the project proponent are being annexed herewith and marked as **Annexure No 3** and **Annexure No 4** respectively. Factual and Action taken Report is hereby submitted as under.

Factual Report-

The land in question Gata no 497 is in village Tilmas, Tahseel Mirganj, District Bareilly. Smt Mamta W/O Sri Hariom is the owner of this land. The category of this land is " Category 1-क Transferable Land Tenure." Copy of the khatauni is being annexed herewith and marked as **Annexure No 5**. As per the revenue record there is no land allotted for Narai/Nala/Khali in the village. Applicant is the owner of Gata No 489 which is adjacent to Land in question Gata No 497. Copy of the khatauni is being annexed herewith and marked as **Annexure No 6.**

During rainy season, excess water flowing on the fields flows through low land area. Its length is about 5 Km. Approximately 40% of runoff passes through a culvert made by PWD and remaining passes through Gata no 494, 495, 496, 497, 489 etc. being low land area and crosses the road through a humepipe. During heavy rainfall the surrounding area gets submerged in water for some time. Nazri Naksha and Google Map are being annexed herewith and marked as **Annexure No 7** and **Annexure No 8** respectively. Since there is no defined drain/nala therefore it is not possible to define bed width and water depth of flow at this place. Permanent construction may obstruct the natural flow of water during rainy season. Sri Hariom wants to construct house on his land for his living with 3 mtr high columns so that water could be drained beneath it without obstructing the water flow. Application of Sri Hariom is being annexed herewith and marked as **Annexure No 9.**

Action taken Report-

Sri Hariom has dug the foundation of columns. He has been stopped for doing any permanent construction till the final order of The Hon'ble Tribunal. Statement of Sri Hariom is being annexed herewith and marked as **Annexure No 9.**

The report is submitted for kind considerrtion of this Hon'ble Tribunal. The direction passed by this Hon'ble Tribunal shall be complied with in true letter and spirit.

Place ....Bareilly...
Dated 08.12.2023

8/12/2023

Executive Engineer
Flood Division, Bareilly

08/12/23

District Magistrate
Bareilly

ANNEXURE No-1

जिलाधिकारी महोदय,

बरेली

महोदय,

राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 466/2023 प्रेमपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.11.2023 के अनुपालन में आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रकरण की जाँच मेरे द्वारा सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, बरेली के साथ संयुक्त रूप से की गयी। स्थलीय निरीक्षण के समय वादी श्री प्रेमपाल पुत्र श्री खूबचन्द एवं प्रस्तावित निर्माणकर्ता श्री हरिओम पुत्र श्री गिरधारी लाल भी उपस्थित रहे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच आख्या निम्नवत् है:-

प्रश्नगत प्रकरण ग्राम तिलमास परगना सिरौली तहसील-मीरगंज जिला-बरेली की खसरा संख्या- 497 पर श्री हरिओम पुत्र श्री गिरधारी द्वारा किये जा रहे निर्माण पर श्री प्रेमपाल द्वारा की जा रही आपत्ति से सम्बन्धित है। उक्त के सम्बन्ध में दोनों पक्षों से पूछताछ की गयी तथा उनके बयान दर्ज किये गये।

वादी श्री प्रेमपाल पुत्र श्री खूबचन्द निवासी ग्राम बहरोली जिला बरेली ने बयान किया कि जिस स्थल पर श्री हरिओम द्वारा मकान बनाया जा रहा है वहाँ मौके पर नाला है जो कि कोसी नदी रामपुर से जुड़ा हुआ है। इस नाले में बारिश का पानी, सैलाब ग्राम मसीहाबाद, जाम, करमपुर, तिलमास, बहरौली व करौरा होते हुये रामगंगा नदी में गिरता है।

पुनः 2-12-23

ऐसी स्थिति में यदि उक्त स्थल पर हरिओम द्वारा पक्का निर्माण किया गया तो कई गाँव जलमग्न हो सकते है।

निर्माण प्रस्तावक श्री हरिओम पुत्र श्री गिरधारी लाल निवासी बहरौली थाना– मीरगंज जिला–बरेली द्वारा बयान किया गया कि प्रश्नगत भूमि को उन्होंने श्री राजेन्द्र कुमार निवासी बहरौली से लगभग 11–12 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी श्रीमती ममता के नाम से खरीदा था। तब से यह भूमि उनके कब्जे में थी और वह वहाँ खेती कर रहा था। वर्तमान में अपनी आवश्यकतानुसार उक्त भूमि पर घर का निर्माण करना चाह रहा है, इस स्थान पर कोई नाला नहीं है लेकिन अधिक बरसात होने पर बरसात का पानी उनके खेत से निकलता है, इसलिए वह 30 फिट चौड़ाई में 10 फिट ऊँचे पिलर बनाकर, उसके ऊपर अपने घर का निर्माण करेगा जिससे पानी के निकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उपर्युक्त भूमि श्रेणी–1(क) की संक्रमणीय भूमिधरी की जमीन है।

तथ्ययात्मक टिप्पणीः–

प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 497 ग्राम तिलमास में स्थित है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती ममता पत्नी श्री हरिओम के नाम से दर्ज श्रेणी–1(क) के अन्तर्गत संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त ग्राम में नाले के नाम पर कोई भी भूमि दर्ज नहीं है। वर्षाकाल में अधिक वर्षा होने पर जलीय प्रवाह उक्त भूमि से भी होता है। भूमिधर द्वारा प्रस्तावित निर्माण करने से यद्पि प्रवाह बाधित होगा परन्तु वर्तमान में सड़क व उक्त प्रस्तावित निर्माण के मध्य सड़क की भूमि प्रवाह हेतु उपलब्ध रहेगी वर्तमान में श्री हरिओम द्वारा इस स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, कालमों की नीव खुदी हुयी पड़ी है। उपरोक्तानुसार सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–

1–बयान श्री प्रेमपाल एवं श्री हरिओम

2–नजरी नक्शा।

3–राजस्व अभिलेख।

पुनीत 2-12-23
सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)
बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग बरेली

02.12.23
उपजिलाधिकारी
मीरगंज।

ANNEXURE No 2

निरीक्षण टिप्पणी

दिनांकः 04.12.2023 को मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली वाद सं0–466/2023 प्रेमपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.11.2023 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणीः–

दिनांकः 04.12.2023 को मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली वाद सं0–466/2023 प्रेमपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.11.2023 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहेः–

1. श्री पुनीत कुमार, सहायक अभियन्ता, चतुर्थ बाढ़ खण्ड बरेली।
2. श्री पंकज कुमार, जूनियर इंजीनियर, बाढ़ खण्ड बरेली।
3. वादी श्री प्रेमपाल पुत्र श्री खूबचन्द्र।
4. प्रस्तावित निर्माणकर्ता श्री हरिओम पुत्र श्री गिरधारीलाल एवं ग्रामवासी।

प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम तिलमास परगना सिरौली तहसील मीरगंज जिला बरेली की खसरा सं0–497 पर श्री हरिओम पुत्र श्री गिरधारीलाल द्वारा Low Land Area पर किये गये निर्माण से सम्बन्धित है।

स्थलीय निरक्षण में पाया गया कि मौके पर नाला है, जो उक्त स्थल से लगभग 05 किमी0 दूरी से बहकर बारिश का पानी, सैलाब ग्राम मसीहाबाद, जाम, करमपुर, तिलमास, बहरौली व करौरा होते हुए रामगंगा नदी में गिरता है। नाले पर पुलिया है, जिससे उक्त नाले का वर्षाकाल में लगभग 40% पानी ही निष्कासित हो जाता है तथा 60% Low Land Area स्थित खसरा सं0–494, 495, 496, 497 होते हुए 501, 506 से निकलता है। यदि निर्माण कार्य खसरा सं0–497 कर दिया जायेगा तो वर्षाकाल में प्राकृतिक बहाव में बाधा आयेगी तथा आबादी जलमग्न हो जायेगी। वर्तमान में Low Land Area पर श्री हरिओम द्वारा नींव डाल दी गयी है किन्तु निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है।

(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
बाढ खण्ड, बरेली

पत्रॉकः /बाखंब/नि0टि0/तदिनॉकः /2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी, महोदय, बरेली।
2. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली।

4/12/23

(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
बाढ खण्ड, बरेली

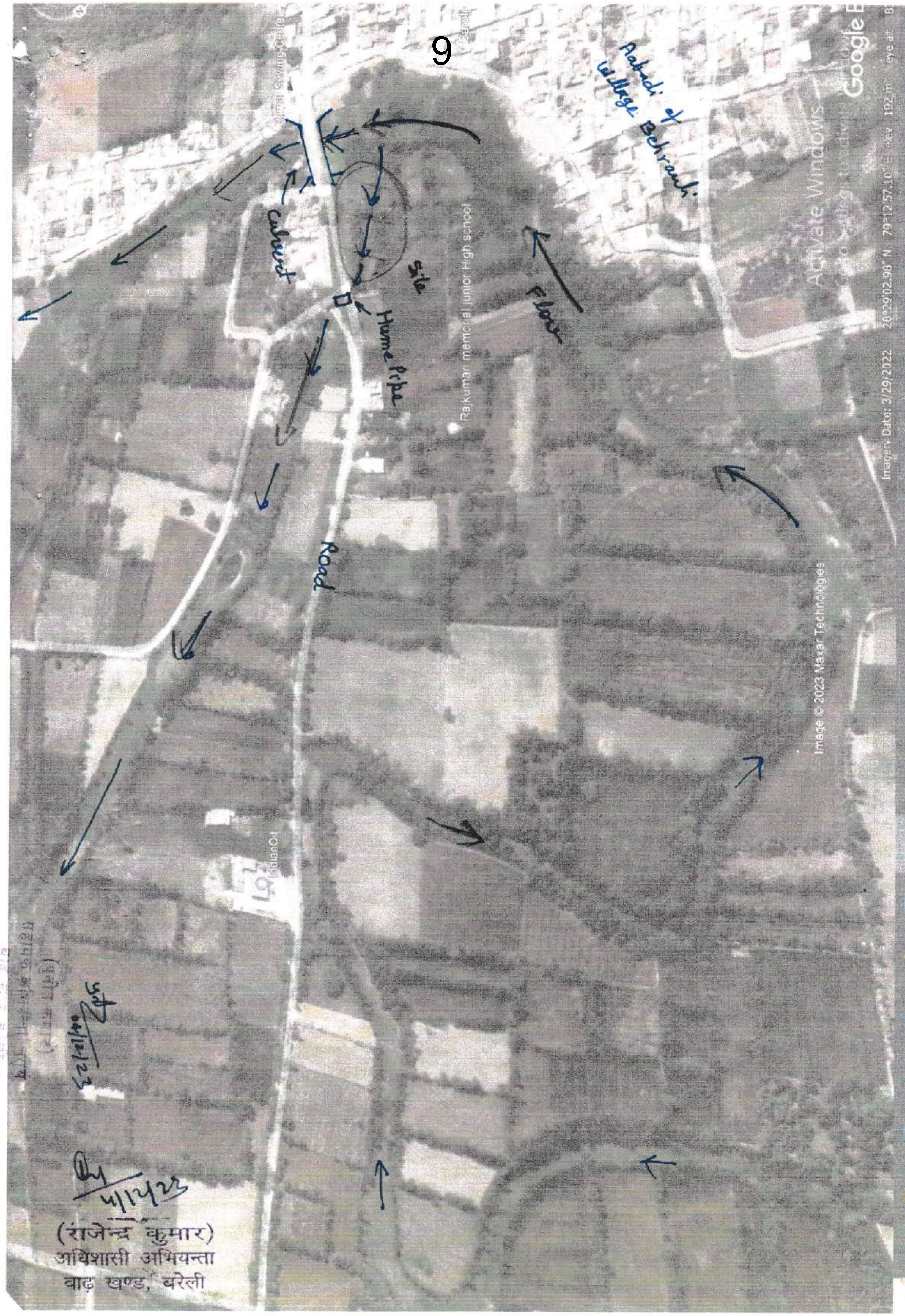

(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, बरेली

ANNEXURE-3

बयान श्री प्रेमपाल पुत्र श्री बुधचंद

मैं प्रेमपाल पुत्र श्री बुधचंद आयु लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम बहरौली थाना मीरगंज, तहसील मीरगंज, जिला-बरेली शपथपूर्वक बयान करता हूं कि जिस स्थल पर श्री हरिओम द्वारा मकान बनाया जा रहा है वहां पर बहुत पुराना नाला है जो कि कोसी नदी रामपुर से जुड़ा हुआ है। इस नाले में बारिश का पानी आ सैलाब ग्राम मसीहाबाद ग्राम, करमपुर, त्रिमास, व बहरौली, करौरा होते हुए रामगंगा नदी में गिरता है। ऐसी परिस्थिति में अगर उपरोक्त जगह पर पक्का निर्माण होता है तो कई गाँव जलमग्न हो सकते हैं।

बयान पढ़कर तस्दीक किया।

प्रेमपाल गंगवार
2-12-2023
प्रेमपाल पुत्र श्री बुधचंद
मो० नं० - 6396645009

c/s

(S.D.M)
Meerganj

बयान श्री हरिओम पुत्र श्री गिरधारी लाल

ANNEXURE-4

मैं हरिओम पुत्र श्री गिरधारी लाल आयु लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम बहरौली थाना मीरगंज, तहसील मीरगंज, जिला बरेली शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं जिस स्थल पर अपना घर बना रहा हूँ वो जगह मैंने श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी बहरौली से खरीदी थी। उक्त भूमि लगभग 2.50 बीघा साम है। यह भूमि मैंने 11-12 वर्ष पहले अपनी पत्नी श्रीमति ममता के नाम खरीदी थी। तब से यह भूमि मेरे कब्जे में थी और मैं खेती कर रहा था। वर्तमान में मैं अपनी जरूरत के हिसाब से रहने के लिये घर बना रहा हूँ। इस स्थान पर कोई नाला नहीं है लेकिन अधिक बरसात होने पर बरसात का पानी मेरे खेत से निकलता है इसलिए मैं 30 फीट चौड़ाई में 10 फीट ऊँचे पिलर डालकर उसके ऊपर मैं घर का निर्माण करूँगा जिससे पानी के निकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उपरोक्त भूमि हमारी श्रेणी 1 की संक्रमणीय भूमिधरी की जमीन है।

बयान पढ़कर तस्दीक किया।

हरी ओम
2/12/2023
हरिओम पुत्र श्री गिरधारी लाल
मो०नं० - 9897662376

S/S

(S.D.M.)
Meerganj

Annexure - 5

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

03/Dec/2023 15:30:09

ग्राम क्रमांक : 129744 ग्राम का नाम (परगना) : तिलमास (सिरौली) तहसील : मीरगंज जनपद : बरेली
फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00528

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
497	वेदराम / चतुरी / नि.ग्राम सिरौंधी अंगदपुर ममता / हरीओम / बहरोली w/o Sri Hari Om		1398फ	497(1297440497000012)	0.0740			1.45

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य सात चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक दशमलव चार पाँच रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया

(पुनीत कुमार)
सहायक अभियन्ता चतुर्थ
बाढ़ खण्ड बरेली

Annexure 6

13

BHULEKH Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/Dec/2023 12:56:52

ग्राम क्रमांक : 129744 ग्राम का नाम (परगना) : तिलमास (सिरौली) तहसील : मीरगंज जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00093

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
489	1) खूबचंद/सुन्दरलाल/वहरोली Father of Sri Prempal		1398फ	489(1297440489000012)	0.1620	1) 1/1	1) 0.1620	5.70
							0.1620	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव एक छ: दो शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - पाँच दशमलव सात शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव एक छ: दो शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

(सुनील कुमार)
सहायक अभियन्ता चतुर्थ
बाढ़ खण्ड बरेली

14

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/Dec/2023 12:56:52

ग्राम क्रमांक : 129744 ग्राम का नाम (परगना) : तिलमास (सिरौली) तहसील : मीरगंज जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00093

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

1) टि० शाखा प्रबन्धक BUPGB हरहरी द्वारा खूबचन्द पुत्र सुन्दरलाल की भूमि 193000/- में बन्धक की जाती है। ह०स०र०क० 19.6.19 (डिजिटल हस्ताक्षर : ADITYA KUMAR (INCHARGE REGSITRAR KANOONGO) /21-11-2022)

2) शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा हरहरी /19.11.09/ खूबचन्द पुत्र सुन्दरलाल की भूमि 63000/ मे बन्धक की जाती है। ह0र0क 019.12.09 (डिजिटल हस्ताक्षर : ADITYA KUMAR (INCHARGE REGSITRAR KANOONGO) /21-11-2022)

पूर्व आदेशों का विवरण

Disclaimer:

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through district portal/CSC/Tehsil Computer Centre

Software Powered By National Informatics Centre

Digital India NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Annexure 7

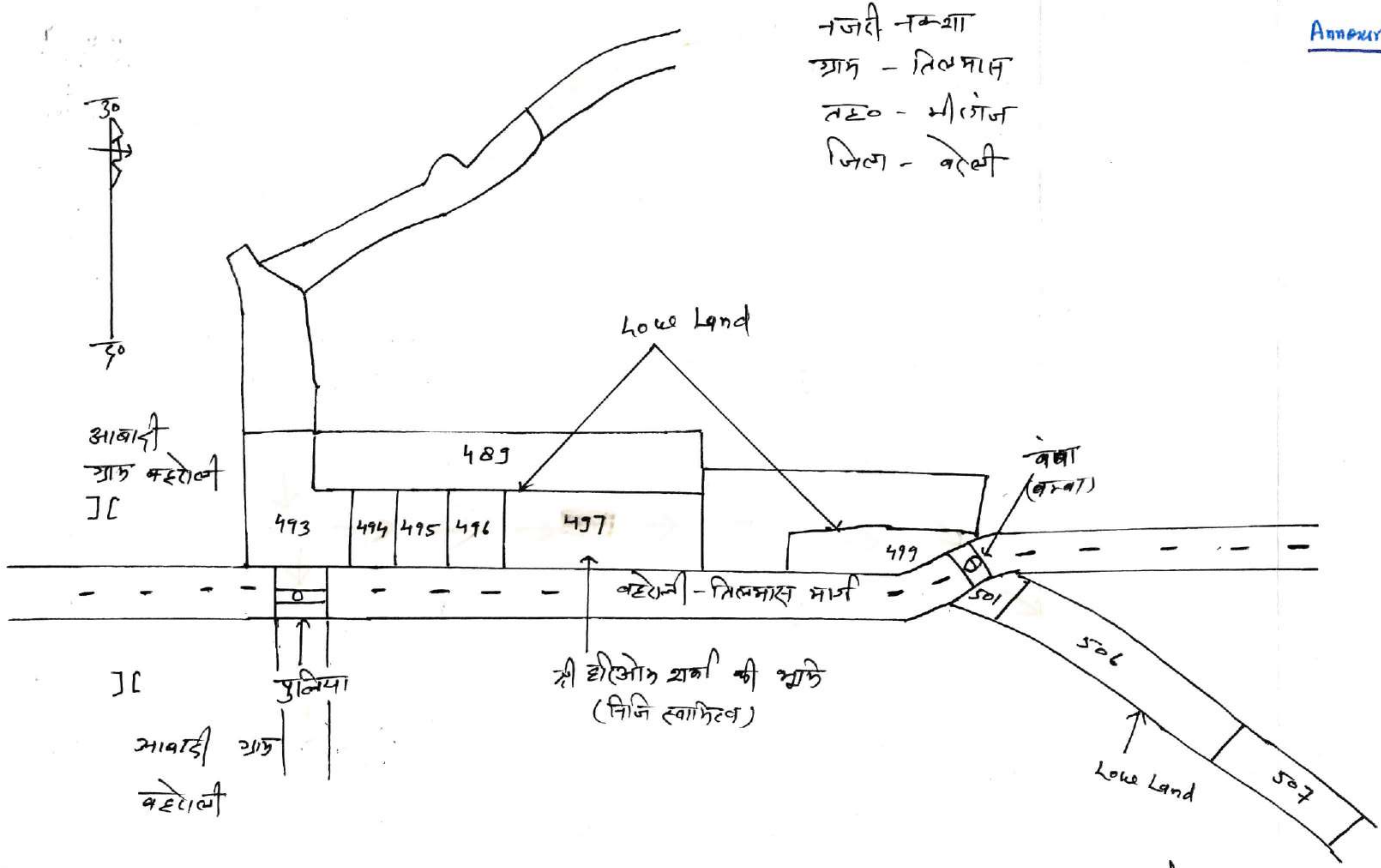

विजय सिंह
लेखपाल

ANNEXURE-8
Abadi of village Behraudi
culvert
Site
Hume pipe
Flow
ROAD
Rajkumari memorial junior High school
IndianOil
Image © 2023 Maxar Technologies
2/12/23
(पुनीत कुमार)
सहायक अभियन्ता चतुर्थ
बाढ़ खण्ड बरेली

Annexure - 9

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
तहसील मीरगंज (बरेली)

महोदय,

सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा ग्राम तिलयास स्थित गाटा सं० 497 में मैंने अपने रहने का मकान का निर्माण प्रारम्भ किया गया। मेरे द्वारा मकान के कॉलम की नींव खोदी जा चुकी है परन्तु मेरा निर्माण कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा रुकवा दिया गया है। हमारे गाँव में कोई भी नाला नहीं है केवल नीचे लेवल के खेतों में अधिक वर्षा के समय पानी भर जाता है व सड़क पर बनी पुलिया व ह्यूम पाइप के पुलिया से बहकर आगे को निकलता है।

मैं अपने मकान को सड़क से 40 फिट छोड़कर 30 फिट चौड़ाई में 3 मीटर ऊँचाई के कॉलम बनाकर उसके ऊपर निर्माण करना चाहता हूँ ताकि निम्नलिखित भूमि पर बहने वाले वर्षा के जल निकासी में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

आपसे सादर अनुरोध है कि मकान का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है अतः मुझे मेरे मकान निर्माण की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपका आजीवन आभारी रहूँगा। हरीओम

दिनांक 6/12/2023

प्रार्थी
हरीओम पुत्र श्री गिरधारी लाल
नि० ग्रा० बहरोली
9897662376

C/S
6/12/23